भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3353
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)
कंपनियों के पास अदावाकृत निवेश निधि

3353. प्रो. सौगत राय :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2014 के अंत तक, अदावाकृत निवेश निधि की मात्रा के बारे में सरकार द्वारा किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों की पहचान की है जिनके पास अदावाकृत निधि तो है लेकिन उन्होंने कंपनी रजिस्ट्रार को इसका प्रकटन नहीं किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अदावाकृत निवेश निधि को निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जा सकता है लेकिन संबंधित विधान के अंतर्गत दंड- संबंधी नियम न होने के कारण, कई कंपनियों ने ऐसी निधि को उनके तुलन-पत्र में दर्शाया है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय "अदावाकृत निवेश निधियों" के संबंध में कोई सूचना एकत्रित नहीं करता है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अधीन, कंपनियों द्वारा उनके पास पड़े लाभांशों, परिपक्व जमा राशियों, ऋण पत्रों आदि से संबंधित अदावाकृत और अदत्त राशियों के आंकड़ें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर, 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनियों के पास ऐसी 3454.29 करोड़ रुपए की राशि है। यह राशि सात वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर यदि अदत्त और अदावाकृत रहती है तो वह निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी।

(ख) और (ग) : सांविधिक फाइलिंग के आधार पर, उन कंपनियों की पहचान की गई है जिन्होंने अपने तुलन पत्रों में अदावाकृत/अदत्त लाभांश दर्शाए हैं किंतु संगत प्ररूपों में उनका ब्यौरा नहीं दिया है। अंतिम सूची तैयार करने से पूर्व ऐसी कंपनियों के अभिलेखों की जांच और कारण बताओ नोटिस जारी करना अपेक्षित है।

(घ) और (ड.) : कंपनियों द्वारा अदावाकृत लाभांशों को अपने तुलन पत्र में दर्शाने का कोई मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

*****